

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रांची

पत्रांक :-वि0प्रा0योजना-54/11 (पार्ट-2)

/रांची, दिनांक-

प्रेषक,

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

द्वारा :-
सेवामें,

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
पोस्ट-हिनु, रांची।

विषय :-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण/स्थापना आदि/संविदा के आधार पर रखे गये कर्मियों के वेतन भुगतान एवं राज्यान्तर्गत स्थापित होने वाले नये राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रस्तावित मदों में व्यय हेतु कुल रू0 1,00,00,00,000/- (रू0 एक सौ करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-285 दिनांक-25.03.2026 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में संबंधित शीर्षों में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु निम्न विवरणी के अनुसार कुल रू0 1,00,00,00,000/- (रू0 एक सौ करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है :-

क्र0	इकाई का नाम	OSP	TSP	Total
1	वेतन	1,22,31,000.00 (विपत्र कोड-43S220300112AN000101)		1,22,31,000.00
2	संविदा भता	6,62,04,000.00 (विपत्र कोड-43S220300112AN000108)		6,62,04,000.00
3	मानदेय	11,00,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300112AN000109)	4,00,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300796AN000109)	15,00,00,000.00
4	देशीय यात्रा व्यय	6,30,000.00 (विपत्र कोड-43S220300112AN000213)		6,30,000.00
5	कार्यालय व्यय	4,24,15,000.00 (विपत्र कोड-43S220300112AN000315)	1,00,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300796AN000315)	5,24,15,000.00
6	किराया, दर, कर	50,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300112AN000316)		50,00,000.00
7	कार्यालय उपकरण	17,00,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300112AN000317)	3,00,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300796AN000317)	20,00,00,000.00
8	सेमिनार/समारोह/ कार्यशाला	6,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300112AN000321)		6,00,000.00
9	आपूर्ति एवं सामग्री	21,00,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300112AN000323)	5,00,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300796AN000323)	26,00,00,000.00
10	व्यावसायिक सेवाएँ	15,13,20,000.00 (विपत्र कोड-43S220300112AN000329)		15,13,20,000.00
11	पुस्तकालय	3,00,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300112AN000332)	1,00,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300796AN000332)	4,00,00,000.00
12	दूरभाष	90,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300112AN000333)		90,00,000.00
13	विद्युत व्यय	2,00,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300112AN000337)		2,00,00,000.00
14	रख-रखाव मरम्मत	2,00,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300112AN000339)	1,00,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300796AN000339)	3,00,00,000.00
15	मोटर वाहन	24,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300112AN000441)		24,00,000.00
16	विधि प्रभार	2,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300112AN000760)		2,00,000.00
	कुल	85,00,00,000.00	15,00,00,000.00	1,00,00,00,000.00

2. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-112-इंजीनियरिंग/ तकनीकी कालेज तथा संस्थान-उप शीर्ष-AN-डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि रू0 85,00,00,000/- (रू0 पचासी करोड़) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
3. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-उप शीर्ष-AN-डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि रू0 15,00,00,000/- (रू0 पन्द्रह करोड़) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
4. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाब देही होगी।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
6. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड़ 2101 है।
7. स्वीकृत्यादेश में निहित राशि का आवंटन आदेश आवश्यकतानुसार निर्गत किया जायेगा। तदोपरान्त ही राशि निकासी एवं व्ययन योग्य होगी।
8. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित बी0आई0टी0 सिन्दरी/राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/गोडडा/बोकारो/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक के निदेशक/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी होंगे।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेंगे।
11. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित्त विभाग के आदेश पत्रांक-285 दिनांक-25.03.2026 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।
12. राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची/बोकारो/जमशेदपुर/दुमका/कोडरमा/सरायकेला/धनबाद/पलामू/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/गोडडा/जामताड़ा/चतरा/गिरिडीह/लोहरदगा/गुमला/हजारीबाग उप कोषागार, तेनुघाट से की जायेगी।
13. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) को होगा।
14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
15. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।
16. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0, सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-वि0प्रा0योजना-54/11 (पार्ट-2)

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/बोकारो/गोडडा/जमशेदपुर/दुमका/कोडरमा/सरायकेला/धनबाद/पलामू/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/चतरा/जामताड़ा/गिरिडीह/लोहरदगा/गुमला/हजारीबाग/उप कोषागार, तेनुघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-वि0प्रा0योजना-54/11 (पार्ट-2)/04/योजना /राँची, दिनांक- 12/05/2026

प्रतिलिपि :- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/गोडडा/बोकारो/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक /विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव